

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 110/310

पटना, दिनांक 12.2.19

प्रेषक,

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 05/2018

सेवा में,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
(तालिकानुसार)।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड-23-2851.00.102.0001 के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु रू० 50,78,000/- (पचास लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय हेतु रू० 50,78,000/- (पचास लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड-23-2851.00.102.0001, इसके अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त अतिरिक्त उपबंध तथा विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 667, दिनांक 29.01.2019 द्वारा प्राप्त उपबंध से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय वहन करने हेतु दिया जा रहा है।
4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

12/2/19
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 110/310

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 12.2.19

12/2/19
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।


कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 110/3170 /

पटना, दिनांक 12.2.19

प्रतिलिपि :-

वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-102-लघु उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001-प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड-23-2851001020001 के अन्तर्गत गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने हेतु निधि का आवंटन।

क्र०	कार्यालय का नाम /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	विकित्सा भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	बर्दी/पोशाक	किराया महसूल एवं कर	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	विषय शीर्ष	0001.01.01	0001.01.03	0001.01.04	0001.01.06		0001.11.01	0001.13.01	0001.13.04	0001.13.06	0001.14.01	
1	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना।	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
2	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गया।	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
3	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	30000
4	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल।	560300	67400	41800	15000	684500	10000	5000	0	20000	0	734500
5	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका।	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	176000	181000
6	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर।	585500	397500	45800	0	1028800	0	10000	0	20000	0	30000
7	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली।	85000	8000	6000	1000	100000	0	0	0	20000	0	1048800
8	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा।	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	105000
9	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार।	343700	16000	27600	4000	391300	0	0	0	0	10000	10000
10	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया।	336000	30300	26700	7000	400000	0	0	5000	0	14800	411100
11	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद।	546000	49200	43800	11000	650000	0	11000	20000	0	0	425000
12	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय।	420000	37800	33600	8600	500000	0	0	0	0	0	681000
13	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया।	328200	13600	30000	5400	377200	0	5000	0	0	0	500000
14	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा।	139500	0	10600	5100	155200	0	5000	0	0	0	382200
15	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160200
16	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा।	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	105000	130000
17	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई।	0	0	0	0	0	0	10000	0	20000	9200	39200
18	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000
19	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया।	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
20	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान।	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
21	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा।	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
22	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण।	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
23	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज।	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
24	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर।	0	0	0	0	0	0	5000	15000	0	0	20000
25	योग	3344200	619800	265900	57100	4287000	10000	51000	60000	305000	365000	5078000
26												

कुल :- पचास लाख अठहत्तर हजार रुपये मात्र।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।